न्यायालय – राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एम0के0 सिंह**
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 345–दो/86 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–7–86 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना प्रकरण कमांक 99/82–83/अपील.

मंगलसिंह पुत्र ओछेसिंह
निवासी ग्राम केथोदा मजरा एन्डोरी
तहसील गोहद जिला भिण्ड म.प्र. ..... आवेदक

विरूद्ध

1– लालसिंह पुत्र ओछेसिंह
2– हवलदार सिंह पुत्र नाहरसिंह
3– वेवा प्रभूसिंह
4– महावीर सिंह
5– कल्ला
6– लाखनसिंह
नावालिग पुत्रगण प्रभूसिंह व सरपरस्ता माता
वेवा प्रभूसिंह
समस्त निवासीगण ग्राम केथोदा मजरा एन्डोरी
तहसील गोहद जिला भिण्ड म.प्र. ..... अनावेदकगण

श्री एस.के. अवस्थी, अधिवक्ता, आवेदक.
अनावेदकगण – एकपक्षीय

आदेश

(आज दिनांक 1 – 9 –2015 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 99/82–83/अपील में पारित आदेश दिनांक 16–7–86 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार गोहद द्वारा दिनांक

21–7–69 को अनावेदकों को पट्टा देने का आदेश दिया गया । इस आदेश से असंतुष्ट होकर आवेदकों द्वारा दिनांक 15–3–82 को एस.डी.ओ. के समक्ष अपील पेश की गई जो उन्होंने आदेश दिनांक 25–1–83 के आदेश द्वारा अवधि बाह्य होने के कारण निरस्त की । एस.डी.ओ. के आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त ने द्वितीय अपील में आलोच्य आदेश द्वारा की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्क श्रवण किए गए । उनके द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने अपील को अवधि बाह्य मानने में त्रुटि की है क्योंकि प्रारंभिक न्यायालय ने कोई सूचना आवेदकों कोनहीं दी गई तब जानकारी के दिनांक से अपील अवधि में थी । जानकारी के संबंध में आवेदकों ने शपथपत्र भी दिया था जिसका कोई शपथपत्र अनावेदकों ने पेश नहीं किया ।

यह तर्क दिया गया कि प्रार्थी का प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा था ऐसी स्थिति में पर आयुक्त ने प्रार्थी को भूमि में रूचि न होना मानने में त्रुटि की है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदकगण प्रकरण में एकपक्षीय हैं ।

5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनकी अपील अवधि बाह्य होने के कारण निरस्त करने के विरूद्ध पेश किया गया है । प्रकरण में 13 वर्ष का विलंब है और इस विलंब का कोई समुचित कारण नहीं दिया गया है और ना ही कोई ऐसा आधार दिया गया है जिसे समाधान योग्य माना जा सके । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त का जो आदेश है वह अपने स्थान पर उचित, न्यायिक और विधिसम्मत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर